उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या-105/2017/आर-1752/26-3-2017-रिट(23)/2011टी.सी.

लखनऊः दिनांकः 03 जुलाई 2017

कार्यालय ज्ञाप

समाज कल्याण अनुभाग-3, उ0प्र0शासन के शासनादेश संख्या-98/2017/आर-1615/26-3-2017-23(रिट)/2011, दिनांक-21.06.2017 "उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2012(यथा चतुर्थ संशोधन)-2016" में षष्टम संशोधन-2017 निर्गत किया गया है।

2- उक्त संशोधित छात्रवृत्ति नियमावली (षष्टम संशोधन)-2017 के नियम-20 में अंकित प्राविधान में त्रुटिवश 'मा0 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग' अंकित हो गया है जिसे विलोपित समझा जाय। शेष प्राविधान पूर्ववत् प्रभावी रहेंगे।

सुनील कुमार श्रीवास्तव
विशेष सचिव

पृ0सं0 105/2017/आर-1752(1)/26-3-2017-तददिनांक-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/न्याय/मा0शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/कृषि शिक्षा विभाग/पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन।

3- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

4- निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास उ0प्र0लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त संशोधित नियमावली को सम्बन्धित जनपदों को ई-मेल के माध्यम से तत्काल प्रेषित कराते हुये आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

5- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।

6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।

7- कुल सचिव, उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।

8- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0 उ0प्र0।

9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।

10- गार्डफाइल।

आज्ञा से

कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।